भूमि के चिपते पडोसी के द्वारा कब्जा करने का कथन किया गया है प्रतिवादी /अप्रार्थी का कथन है कि खाता विभाजन मे कपट पूर्वक अपने नाम करवाई गई है जिसकी अपील विचाराधीन है खाता विभाजन के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 67/74 की कुल 9.6550हैक भूमि में वादी सयुक्त तौर खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि के खसरा न0 258/2 की 0.6050हैक भूमि जिसमें ढाणी बनी हुई है पर प्रतिवादीगण के द्वारा कब्जा करना अंकित किया गया है इसके विपरित प्रतिवादी का कथन है कि उसकी ढाणी बनी हुई है उसके द्वारा कब्जा नही किया गया है

प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी /प्रतिवादीगण दोनो अपना अपना कब्जा होना जाहिर कर रहे है वास्तविकता की जानकारी के लिये वाद भूमि का भौतिक /वास्तविक सत्यापन करवाया जाना विधि सम्मत है

अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 67/74 की कुल 9.6050हैक जो वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है व खाता संख्या 109/119 की कुल 9.7060हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है का मौका निरीक्षण किया जाकर वास्तविक तथ्यो अंकित करते हुए मौका रिपोर्ट पेश करे पत्रावली प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी की बहस हेतु दिनांक 08.04.2026 को पेश हो।

Rahul

8/4/26 वकील परिवेन उपस्थित मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं पत्रावली पुनः लिखा जाकर मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 20/4/26 को पेश हो

Rahul

20/4/26 पत्रावली पेश हुई श्रीमान् [illegible] साहब मय कार्य में व्यस्त ..... मौका रिपोर्ट हेतु
पत्रावली दि० 14/5/26 को पेश हो।

14/5/26 वकील परिवेन उपस्थित मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं पत्रावली मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 25/5/26 को पेश हो।

Rahul.

25/5/26 वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील वादी ने निवेदन किया कि इस प्रकरण का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये वाद नहीं चलाना चाहते है खारिज करावे वादी पक्ष के द्वारा अपना वाद नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर